"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 326] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 30, शक 1927

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक /4381/डी-15/239/04-05/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र.-24, सन् 1973) की धारा 11, 11-क तथा 12 के सहपठित धारा 79 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियम में,—

नियम "17-क" के उपनियम (1) में शब्द "संभाग आयुक्त" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" स्थापित किया जाए.

Raipur, the 21st December 2005

NOTIFICATION

No./4381/D-15/239/04-05/14-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of Section 79 read with Section 11, 11-A and 12 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby makes the following amendment to the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Mandi Samiti Ka Nirvachan) Rule, 1997, the same having been previously published as required by sub-section (1) of section 79 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rule,—

In sub rule (1) of rule "17-a" for the words "Commissioner of Division" the words "State Government" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.